न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 26/2024 बउनवानी देवी लाल बैरवा बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर
पुत्र श्री सुखलाल बैरवा निवासी लवकुश कॉलोनी खेरदा, सवाईमाधोपुर GCMS No-2024/66

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल जज
10.7.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 24.4.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– तहसील कार्यालय सवाईमाधोपुर द्वारा की गयी तरमीम के अनुसार निम्न खातेदार की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे। 1. बादाम, रामकन्या,संज्या, पारवती, धोली, नटी पुत्रिया बिसन्या बैरवा निवासी अडडू के हिस्से मे आयी ख0न0 रकबा की अलग–अलग तरमीम नक्शे के मुताबिक जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियॉ उपलब्ध करावे। 2. उक्त ख0न0 की अलग अलग गिरदावरी की प्रमाणित प्रतियॉ उपलब्ध करवायी जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः एफ.आरटीआई/2024/351 दिनांक 28.6.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 345 दिनांक 14.6.2024 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। उक्तानुसार भिजवायी गयी सूचना पर अपीलान्ट द्वारा कोई उज्र भी न्यायालय मे पेश नही किया गया है। अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 24.4.2024 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 345 दिनांक 14.6.2024 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा भिजवायी गयी सूचना पर अपीलान्ट द्वारा कोई उज्र भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि भिजवायी गयी सूचना से अपीलान्ट संतुष्ट है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर न्यायहित में अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि भू0 अभिलेख से संबंधित रिकार्ड की नकल जारी करने का प्रावधान है तथा अधिकांश रिकार्ड ऑन लाईन अथवा ई–मित्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। क्योकि भू0अभिलेख से संबंधित रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियो हेतु अलग से फीस निर्धारित है। इसलिए भविष्य मे नियमानुसार नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत नियमा[illegible]स अदा करके ही नकले प्राप्त करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्ब[illegible] बाद तहसील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (डॉ0खुशाल [illegible]) जिला क[illegible] सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:18:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner